संख्या-71/2021/ई-1638572/71-3-2021-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में स्थापित चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 व सी0एम0सी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/सी0एम0सी0/279, दिनॉक 17.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जे0के कैंसर संस्थान, कानपुर में स्थापित उपकरणों (उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 17.05.2021 की सूची के अनुसार) की मरम्मत, ए0एम0सी0 व सी0एम0सी0 हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत ''मानक मद-29-अनुरक्षण'' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सीय उपकरणों हेतु रू0 164.07 लाख तथा गैर चिकित्सीय उपकरणों हेतु रू0 6.57 लाख अर्थात् कुल **रू0 170.64 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु महानिदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर के खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की दरें युक्तिसंगत होना चाहिये, जिन उपकरणों का ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 कराया जाना है, वह संस्थान के हित में एवं नियमानुसार कराया जाए। इस प्रकरण में समस्त जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-71/2021/ई-1638572(1)/71-3-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।